



**BEFORE THE BOARD OF REVENUE, MOTIMAHAL
GWALIOR M.P.**

APPEAL
No. /2018

अपील 3199/2018 | ग्वालियर | स्टांप अधि

श्री. चक्र, श्रीवास्तव 15 अक्टूबर
द्वारा आज दि. 23/5/18 को
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 5/6/18 नियत।
कलेक्टर ऑफ वॉल
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Rajeev Gupta S/o Late Shri
Sunder Lal Gupta, Age 42
years, Occupation - Business
R/o Shanti Enclave Kalpi Brij
Morar Gwalior (M.P.)

**...Petitioner
V/s**

1. State of M.P. through Principal Secretary, Department of Commercial Tax, Vallabh Bhawan, Bhopal, M.P.
2. Inspector General, Registration & Stamp, Panjiyan Bhawan, Plot No. 35A, Arera Hills, Bhopal, M.P.
3. Collector of Stamp (District Registrar) District Gwalior, Room No. 120, Sirol Road, City Center, Gwalior (M.P.)

23/05/18

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति. 23/5/18 से 24/5/18
दिनांक 23/5/18
कार्यवाही व नाम

FIRST APPEAL
SECTION 40 OF (MADHYA PRADESH, Amendment)

Act, 2016) Act, 2016) AGAINST THE ORDER DATED 27-3-18 PASSED BY THE COURT OF COLLECTOR OF STAMPS DISTRICT GWALIOR IN CASE NO. 79/B-105/17-18/48B. Copy of the order is annexed here with and marked as Annexure P/1.

1. FACTS OF THE CASE :-

Short Facts of the Case is as under: -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 3199/2018/ग्वालियर/स्टाम्प अधि.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-6-2018	<p>अपीलार्थी की ओर से श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी शासन की ओर से श्री प्रखर ढेंगुला, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । अपीलार्थी की ओर से यह अपील कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला ग्वालियर के आदेश दिनांक 27-3-2018 के विरुद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 40 (म.प्र. अमेण्डमेंट एक्ट 2016) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जो कि विधि अनुरूप नहीं है । अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापिस किया जाता है ।</p>	<p>अध्यक्ष</p>